भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2318
06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: जीएम फसलों की खेती
2318. श्री केसिनेनी शिवनाथ:
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न राज्यों में वर्तमान में वाणिज्यिक रूप से उगाई जा रही आनुवांशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों का ब्यौरा क्या है और इस कृषि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, उपज और विभिन्न राज्यों में देखी गई किसी फसल-वार भिन्नता का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने देश में आनुवांशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश राज्य में कितने किसान जीएम फसलों की खेती कर रहे हैं;
(ग) जीएम फसल उगाने वाले किसानों की तुलना में साधारण फसलों की खेती करने वाले किसानों की उपज में कितना अंतर है;
(घ) जीएम फसल उगाने वाले किसानों की तुलना में साधारण फसलों की खेती करने वाले किसानों की आय में कितना अंतर है; और
(ङ) क्या सरकार का ऐसा कोई अध्ययन कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) बीटी कपास एकमात्र आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसल है जिसे देश में वाणिज्यिक खेती के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जीनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेजल कमेटी (जीईएसी) द्वारा 2002 में अनुमोदित किया गया था। बीटी कपास के क्षेत्र, उत्पादन और उपज का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), नागपुर ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान महाराष्ट्र में बीटी. कपास के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन करवाया था। आईसीएआर-सीआईसीआर ने मृदा इकोलोजी पर बीटी. कपास के प्रभाव पर भी अध्ययन करवाया है। सर्वेक्षण की अवधि के दौरान बॉलवर्म संक्रमण की घटनाओं में भारी कमी आई और कीटनाशक के इस्तेमाल की संख्या भी 8 से घटकर 4 हो गयी। इसके अलावा, आईसीएआर-सीआईसीआर अध्ययनों ने सॉइल इकोलॉजी पैरामीटर पर बीटी. कपास की खेती का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखाया।

वर्ष 2023-24 के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य में 4,73,345 किसान बीटी. कपास की खेती कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) आईसीएआर-सीआईसीआर द्वारा कराए गए अध्ययन में बीटी. कपास को अपनाने से 3-4 क्विंटल/एकड़ उपज में अंतर पाया गया। इसके अतिरिक्त, आईसीएआर-सीआईसीआर अध्ययन से पता चला है कि बीटी. कपास को अपनाने से आय में वृद्धि का कारण उपज में वृद्धि और कॉटन बॉलवर्म की रोकथाम के लिए कीटनाशक लागत में कमी होना है। उपयुक्त कृषि-विज्ञान को अपनाने के साथ वर्षा सिंचित स्थिति में बीटी. कपास से वर्तमान शुद्ध लाभ 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। किसानों द्वारा बीटी. कपास को तेजी से अपनाने के कारण वर्तमान में कपास की खेती के अंतर्गत 96% से अधिक क्षेत्र पर बीटी. कपास उगाया जा रहा है। बीटी. कपास के संबंध में इस प्रकार का अध्ययन करना कठिन हैं क्योंकि इसके समरूप गैर-बीटी. कपास की खेती नहीं की जा रही है।

अनुबंध – I

बीटी कपास के क्षेत्र, उत्पादन और उपज का राज्यवार विवरण:

	क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)		**उत्पादन (लाख गांठें)**		**पैदावार (किग्रा/हेक्टेयर)**	
राज्य	**21-22**	**22-23**	**21-22**	**22-23**	**21-22**	**22-23**
पंजाब	2.51	2.49	6.46	4.44	437	303
हरियाणा	6.36	5.75	13.16	10.01	352	296
राजस्थान	7.56	8.15	24.81	27.74	558	579
गुजरात	22.84	24.84	75.09	87.95	559	602
महाराष्ट्र	44.10	41.82	82.49	83.16	318	338
मध्य प्रदेश	5.60	5.95	14.20	14.33	431	410
तेलंगाना	18.89	19.73	48.78	57.45	439	495
आंध्र प्रदेश	5.54	7.04	17.08	15.41	524	372
कर्नाटक	6.74	9.49	19.55	25.68	493	460
तमिलनाडु	1.48	1.73	3.02	3.19	347	313
ओडिशा	1.93	2.16	6.26	7.05	551	554
अन्य	0.17	0.12	0.28	0.19	279	269
योग	**123.72**	**129.27**	**311.18**	**336.60**	**428**	**443**
